## अधिसूचना

## 17 जुलाई , 2017 ई0

संo F-9(25)(II)/RG/UERC/2017/637—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 संपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शिक्तयों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्ते) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

## 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 होगा।
- (2) ये विनियम 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

## 2. मुख्य विनियम के विनियम 48 (1) में संशोधनः

मुख्य विनियम के नियम 49 की धारा 2 के स्थान पर निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात् :"कलेंडर मास के लिए थर्मल उत्पादन केन्द्र को संदेय क्षमता प्रभार की संगणना निम्निलिखित सूत्रों के अनुसार की जायेगीः

CC,=(AFC/12) (PAF, / NAPAF); (AFC/12) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_2 = (AFC/6)(PAF_2/NAPAF);((AFC/6) - CC_1)$  की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_3 = (AFC/4)(PAF_3/NAPAF);((AFC/4) - (CC_1 + CC_2)$  की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_4 = (AFC/3) (PAF_4 / NAPAF)$ ;  $((AFC/3) - (CC_1 + CC_2 + CC_3)$  की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC5=(AFC x 5/12) (PAF5 / NAPAF); ((AFC x 5/12) - (CC1+CC2+CC3+CC4) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_6 = (AFC/2) (PAF_6 / NAPAF); ((AFC/2) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5)$  की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_7$ = (AFCx7/12) (PAF $_7$ /NAPAF) ; ((AFCx7/12)–(CC $_1$ +CC $_2$ +CC $_3$ +CC $_4$ +CC $_5$ +CC $_6$ ) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_8 = (AFCx2/3) (PAF_8/NAPAF)$ ;  $((AFCx2/3) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6 + CC_7)$  की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_9$ =(AFCx3/4) (PAF9/NAPAF) ; ((AFCx3/4))-( $CC_1$ + $CC_2$ + $CC_3$ + $CC_4$ + $CC_5$ + $CC_6$ + $CC_7$ + $CC_8$ ) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC<sub>10</sub>=(AFCx5/6) (PAF10/NAPAF) ; ((AFCx5/6)-(CC<sub>1</sub>+CC<sub>2</sub>+CC<sub>3</sub>+ CC<sub>4</sub>+CC<sub>5</sub> +CC<sub>6</sub>+ CC<sub>7</sub>+CC<sub>8</sub> +CC<sub>9</sub>) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

 $CC_{11}$ =(AFCx11/12) (PAF11/NAPAF) ; ((AFCx11/12)-(CC $_1$ +CC $_2$ +CC $_3$ +CC $_4$ +CC $_5$ + CC $_6$ +CC $_7$ + CC $_8$ +CC $_9$ +CC $_1$ ) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC<sub>12</sub>=(AFC) (PAFY/NAPAF) ; ((AFC)-(CC<sub>1</sub>+CC<sub>2</sub>+CC<sub>3</sub>+CC<sub>4</sub>+CC<sub>5</sub>+CC<sub>6</sub>+CC<sub>7</sub>+ CC<sub>8</sub>+CC<sub>9</sub>+CC<sub>10</sub>+ CC<sub>11</sub>) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

परन्तु यह कि यथास्थिति उत्पादक केन्द्र या उसकी इकाई या पारेषण प्रणाली या उसके किसी अल्पघटक के मामले में नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण बन्द होने की स्थिति में उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एएफसी के एक भाग की वसूली करने की अनुमति होगी जिसमें ओएण्डएम व्यय तथा केवल ऋण पर ब्याज शामिल होगा। 394

जहाँ,

AFC = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत। (रूपयों में)

NAPAF = प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक।

PAF<sub>N</sub> = किसी मास के अन्त तक प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, (प्रतिशत में)।

PAF, = वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक।

CC<sub>1</sub>, CC<sub>2</sub>, CC<sub>3</sub>, CC<sub>4</sub>, CC<sub>5</sub>, CC<sub>6</sub>, CC<sub>7</sub>, CC<sub>8</sub>, CC<sub>9</sub>, CC<sub>10</sub>, CC<sub>11</sub> और CC<sub>12</sub> क्रमशः 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup> और 12<sup>th</sup> मास के क्षमता प्रभार है। "

आयोग के आदेश से,

नीरज सती, सचिव।